रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062025-264052 CG-DL-E-23062025-264052

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] No. 170] नई दिल्ली, सोमवार , जून 23, 2025/ आषाढ 02, 1947

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ Ashadha 02, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

व्यापार उपचार महानिदेशालय

नई दिल्ली. 5 मई. 2025

शुद्धिपत्र अधिसूचना मामला सं. एडीडी (ओआई) – 17/2024)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लूफ़ोसिनेट और इसके साल्ट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 06 /19/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह तथा क्षित के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995, (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, जांच से पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद को वर्गीकरण 38089199, 38089390 और 38089990 के तहत रिपोर्ट किया गया है, डीजीटीआर अंतिम निष्कर्ष एफ. संख्या 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी, 2025 के माध्यम से जारी अंतिम निष्कर्षों में निम्नलिखित सुधार करता है।

4060 GI/2025 (1)

शुल्क तालिका में प्रदर्शित टैरिफ शीर्षक 38089190, 38089390 और 38089990 पैरा 132 में उल्लिखित अनुच्छेदों को संशोधित कर 38089199, 38089390 और 38089990 कर दिया गया है।

दर्पण जैन. निर्दिष्ट प्राधिकारी

(MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY) (DEPARTMENT OF COMMERCE) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 5th May, 2025

CORRIGENDUM NOTIFICATION CASE NO. ADD (OI) 17/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Glufosinate and its salt' originating in or exported from China PR.

F. No. 06/19/2024 -DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules") thereof, in view of the investigation showing that the product under consideration has been reported under classification 38089199, 38089390 and 38089990, the DGTR makes the following corrections in the final findings issued vide final finding F. No. 6/19/2024-DGTR dated 10th February, 2025.

The tariff heading 38089190, 38089390 and 38089990 appearing in the duty table at para 132, is corrected as 38089199, 38089390 and 38089990.

DARPAN JAIN, Designated Authority